प्र.सं. 36/19 किशनसिंह व अन्य बनाम हरीसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लेई का गुडा में आराजी नंबर 47, 48, 49, 50 कुल किता 4 रकबा 0.3000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 60 रकबा सवा बीघा थे। उक्त भूमि में भूरसिंह पिता लालसिंह का 1/4 हिस्सा था, जो उनके द्वारा दिनांक 25.06.1964 को पृथ्वीसिंह पिता गंगासिंह राजपूत को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया, जिसके पड़ोस विक्रय पत्र में अंकित होकर उक्त पडोंसों के मध्य की 6 बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया। क्रेता पृथ्वीसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके कानूनी वारिस वादीगण हैं। विक्रेता भूरसिंह का भी निधन हो चुका है, जिसके कानूनी वारिस प्रतिवादीगण हैं, जिनका उक्त आराजियात से कोई लेना–देना नहीं है फिर भी वह वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं, जबकि क्रय दिनांक से विवादित आराजियात पर कब्जा आज भी वादीगण का चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित 6 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.01.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29.08.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी ओर से अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:21 IST
Reason: SelfAttested

श्री ओनारसिंह जी पैरवी कर रहे थे, जो दिनांक 11.03.2017 को फोत हो गये, जिससे अपीलान्ट को इस प्रकरण की जानकारी नहीं होने से उपस्थित नहीं हो सके एवं निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने कार्यवाही पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण निस्तारण राजीनामा अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उक्त राजीनामे पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं, जिनकी पहचान पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा की गयी है। राजीनामे के साथ पक्षकारों के मध्य दिनांक 15.03.2021 को हुए इकरारनामे की फोटो प्रति भी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतु की गयी। तद्नुसार राजीनामे अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 432/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.09.2021 अनुसार प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:21 IST
Reason: SelfAttested